

2 -
RDL
मजदूर
1912
मजदूर

समाचार की मान 21 जून 2019 को 05:00 बजे तक के लिए

पुनर्स्थापन-0664/2019/आपाल/मुद्रा
संख्या 003-21/7/1/15

श्री जगदीश जी शर्मा व सं. - निवासी

निवासी

श्री परशुराम

निवासी

श्री कस्तूरि व सं. - निवासी

निवासी

स 050 मु-राज्य संविदा वि धारा 35(3) के अन्तर्गत कोष पर निवासी वि कोष के निम्नानुसार विवेक है:

11-5-19
9/5/19

1. यह कि 2018 प्रथम मानवीय न्यायालय के अन्तर्गत दिनांक 9/5/19 को रिपोर्ट नोट के अन्तर्गत निम्न निम्न

2) यह कि 2018 प्रथम मानवीय न्यायालय में उपरोक्त में परन्तु कोष अन्तर्गत पदावली का अन्तर्गत कोष बनाने के लिए यह मानवीय न्यायालय में कोष की प्रथम सीटों के माध्यम से ही कोष को बनाया गया कि प्रथम कोष परी के अन्तर्गत पर ही कोष का अन्तर्गत

प्रति

अन्तर्गत मानवीय न्यायालय के विवेक है कि प्रथम कोष नवत पर कोष के अन्तर्गत

दिनांक 9/5/19

निवासी

514
निवासी
9/5/19



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

9

आदेश पृष्ठ

भाग अ

राजस्व मंडल का प्रकरण क्रमांक:पुनर्स्थापन -0664/2019/भोपाल/भू-रा.....

तहसील:

जिला:भोपाल....

पुर्न/पुनर्विलोकन में राजस्व मंडल का प्रकरण :

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक:

कलेक्टर के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक:

अनुविभागीय पदाधिकारी का प्रकरण क्रमांक :

तहसील का प्रकरण क्रमांक:

यदि कोई अन्य न्यायालय हो तो :2171/1/2015,....

वाद का विषय:पुनर्स्थापन

अधिनियम एवं धारा जिसके अंतर्गत प्रकरण

यहाँ प्रस्तुत हुआ है :म.प्र.भू.रा.संहिता.....

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
------------------	---------------------	--

आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला....भोपाल.... ।के मूल/अपीलीय आदेश दिनांक : ...09/05/2019... के विरुद्ध ...राकेश व अन्य...।...कस्तूरी...।...जगदीश जैन... के अभिभाषक द्वारा पुनर्स्थापन - पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है ।

प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांकहै | जिसकी सूचना आपको एस.एम.एस. से दी जा चुकी है।

19-6-19

Per...

आवेदक काधिकार श्री जगदीश जैन उपस्थित ।
उन्हें रेस्टोरेशन पर सुना गया। निम्नोपरोक्त रेस्टोरेशन
आवेदन स्वीकार किया जाता है । मूल प्रकरण क्रमांक R-2171-1/15
पुनः नम्बर पर स्थित जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष
नहीं होने में यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।

ASB

29-Mar-2019

अध्यक्ष